उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 | अंक 13 | 1-15 जुलाई 2023 | ₹ 20/-

मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का भारत दौरा

- एनआईए द्वारा इस्लामिक आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई
- संयुक्त राष्ट्र में कुरान के अपमान के खिलाफ प्रस्ताव मंजूर
- फिलिस्तीन के शरणार्थी शिविरों पर हमले में नौ मरे
- समान नागरिक संहिता पर सुझाव की अवधि में बढ़ोतरी

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का भारत दौरा 04
एनआईए द्वारा इस्लामिक आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई 09
मलियाना हत्याकांड पर अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती 11
देश के आने वाले चुनाव उर्दू प्रेस की नजर में 12
समान नागरिक संहिता पर सुझाव की अवधि में बढ़ोतरी 15
पंजाब में मुस्लिम मतों को बटोरने की आम आदमी पार्टी की नीति 19

विश्व

यूएनएचआरसी में कुरान के अपमान के खिलाफ पाकिस्तानी प्रस्ताव मंजूर 20
अफगानिस्तान में चीन द्वारा तेल का उत्खनन 24
अफगानिस्तान में ब्यूटी सैलून बंद करने का आदेश 25
पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा तीन अरब डॉलर का कर्ज 26
बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविर पर फायरिंग में छह मरे 27

पश्चिम एशिया

फिलिस्तीन के शरणार्थी शिविरों पर हमले में नौ मरे 28
मिस्र और तुर्किये का एक दूसरे के देश में दूतावास खुला 30
बेंजामिन नेतन्याहू न्याय व्यवस्था में संशोधन पर अडिग 31
इजरायल की अमेरिका से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा 32
ईरान में पिछले छह महीने में साढ़े तीन सौ लोगों को फांसी 33

सारांश

इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्तारूढ़ होने के बाद मुस्लिम देशों और विशेष रूप से अरब जगत के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं। शायद नरेन्द्र मोदी एक मात्र ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें एक दर्जन से अधिक मुस्लिम देशों ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। इसके बावजूद कुछ देशों द्वारा विश्व मंच पर भारत में मुसलमानों के कथित उत्पीड़न का जो मामला बार-बार उछाला जाता है उसकी कलई हाल ही में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल-इस्सा के भारत के पांच दिवसीय सरकारी दौरे के दौरान खुल गई है। डॉ. अल-इस्सा ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर और खुसरो फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. अल-इस्सा ने कहा कि भारत सह-अस्तित्व का एक महान मॉडल है, जिसके सहिष्णु वातावरण में यहां के सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और अपनी-अपनी पूजा पद्धति पर शांतिपूर्वक अमल करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों को भारतीय होने पर गर्व है और वे राष्ट्रवादी एवं सेक्युलर संविधान के पोषक हैं। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

जहां तक डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल-इस्सा का संबंध है, वे सऊदी अरब के राजनेता, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव, अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक हलाल संगठन के अध्यक्ष और सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री हैं। उन्हें 2018 में मुस्लिम वर्ल्ड लीग का महासचिव बनाया गया था। डॉ. अल-इस्सा की इस्लामिक विश्व में विशेष पहचान है। अगर मुस्लिम वर्ल्ड लीग की बात करें तो यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय मक्का में स्थित है। इसके सदस्यों में सभी मुस्लिम देशों के साथ-साथ मुसलमानों के विभिन्न संप्रदायों के नेता भी शामिल हैं।

जहां भी कुरान और रसूल के अपमान का मामला आता है पूरे विश्व के मुस्लिम देश एकजुट हो जाते हैं। उनकी यही एकजुटता विश्व की बड़ी-बड़ी शक्तियों को झुकने पर मजबूर कर देती है। स्वीडन में ईद के मौके पर एक जुनूनी व्यक्ति द्वारा कुरान को जलाए जाने के बाद पूरे विश्व में जो हंगामा मचा वह इसका जीता जागता उदाहरण है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी एक प्रस्ताव पारित करके इस घटना की निंदा की गई। मुस्लिम जगत के दबाव के कारण स्वीडन के प्रधानमंत्री को यह घोषणा करनी पड़ी कि स्वीडन में शीघ्र ही ऐसा कानून बनाया जाएगा, जिसमें कुरान और अन्य धार्मिक पुस्तकों के अपमान करने वालों के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था की जाएगी।

चीन ने पहली बार अफगानिस्तान में तेल के भंडारों के दोहन का जो कार्यक्रम शुरू किया है उसके दुरगामी परिणाम हो सकते हैं। जिस तरह से चीन अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, उसे नजरअंदाज करना भारत के हित में नहीं होगा। अजीब बात है कि शिनजियांग में चीन द्वारा उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न को भी लगभग सभी मुस्लिम देश नजरअंदाज कर देते हैं और चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने को ज्यादा महत्व देते हैं।

समान नागरिक संहिता के खिलाफ जिस तरह से मुस्लिम संगठन सक्रिय हुए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्लिम संगठन इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं और इसे आगामी विधानसभा व लोकसभा के चुनावों में मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका यह प्रयास है कि वे इस सिलसिले में अन्य अल्पसंख्यक समुदायों और आदिवासियों का भी समर्थन प्राप्त करें।

मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का भारत दौरा

इंकलाब (12 जुलाई) के अनुसार भारत की पांच दिनों की यात्रा पर आए राब्ता आलम-ए-इस्लामी (मुस्लिम वर्ल्ड लीग) के महासचिव डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल-इस्सा ने दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत हमेशा से 'अनेकता में एकता' के सिद्धांत पर चलने वाला देश रहा है। उन्होंने भारत के सेक्युलर संविधान की भी प्रशंसा की और उसे सामाजिक सौहार्द का शानदार उदाहरण बताया। इस कार्यक्रम का आयोजन खुसरो फांउडेशन की ओर से किया गया था, जिसमें चिंतकों, शिक्षाविदों और धार्मिक नेताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया के कई हिस्सों में नकारात्मक प्रवृत्तियों में वृद्धि हो रही है, वहीं भारत आपसी सौहार्द और भाईचारे का एक बेहतरीन नमूना है। इस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। डॉ. अल-इस्सा ने कहा कि सहिष्णुता और सहअस्तित्व को जीवन में उतारना चाहिए।

डॉ. अल-इस्सा ने भारतीय मुसलमानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हैं और यह बहुलता में एकता का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इन विचारों को सिर्फ पुस्तकों में ही नहीं पढा जाना चाहिए बल्कि इन्हें जीवन में भी लागू किया जाना चाहिए। भारत की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर अनेकता में एकता, संविधान और स्थिरता के संरक्षण का एक बेहतरीन तरीका है। उन्होंने भारत में अन्य धर्मों के धार्मिक नेताओं से अपनी मुलाकात की चर्चा करते हुए कहा कि वे मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव के रूप में दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों के बीच एकता के प्रयासों में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक जगत में भी हमें अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए एकता की जरूरत है और एक बेहतरीन भविष्य के लिए हमें अपनी

भूमिका निभानी चाहिए। दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम के सच्चे संदेशवाहक का प्रतिनिधि बनना चाहिए। उन्होंने इस्लाम को मेहनत, भाईचारे और आपसी वार्तालाप का धर्म करार देते हुए कहा कि मुसलमानों को इन खूबियों को अपनाना चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि डॉ. अल-इस्सा के प्रयासों से विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने व अतिवाद को रोकने में बहुत सहायता मिल रही है। यह वह विचारधारा है जोकि हमारे नौजवानों की मानसिकता को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव के वक्तव्यों ने इस्लाम की गहराई और उसके बेहतरीन पक्ष को उजागर किया है। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच सहानुभूति, सहअस्तित्व और आपसी सम्मान की भावना को भी प्रोत्साहन देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत और सऊदी अरब के बीच आपसी संबंध पर गर्व प्रकट करते हुए डोभाल ने कहा कि दोनों देशों की जड़ें समान सांस्कृतिक विरासत, समान दृष्टिकोण और आर्थिक संबंधों में निहित हैं। उन्होंने इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) को परोक्ष रूप से निशाना बनाते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों का विशेष स्थान है और उनकी जनसंख्या ओआईसी के 33 देशों की जनसंख्या के बराबर है। डोभाल ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए भारत को आतंकवाद का शिकार देश करार दिया और बिना पाकिस्तान का नाम लिए उसकी आलोचना भी की।

इंकलाब (13 जुलाई) के अनुसार मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल-इस्सा ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत सहिष्णुता और आपसी भाईचारे पर आधारित धर्मों के बीच वार्ता को प्रोत्साहन देने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग की भूमिका की प्रशंसा करता है। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो बहुसंस्कृतिवाद, बहुभाषी और विभिन्न धर्मों के बीच अनेकता के बावजूद एकता में विश्वास करता रहा है। भारत में 20 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। हमारा देश दूसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को प्रारंभ से ही महत्व देता रहा है और इन दोनों देशों के बीच व्यापार और जन संबंधों का बहुत लंबा इतिहास है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और सऊदी अरब आतंकवाद की हर तरह से निंदा करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखते हैं।

मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉ. अल-इस्सा ने कहा कि हालांकि भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है। लेकिन इसके बावजूद यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसका उल्लेख भारत के संविधान में भी है। भारतीय मुसलमानों को अपनी राष्ट्रीयता और संविधान पर गर्व है।

इंकलाब (15 जुलाई) के अनुसार मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने दिल्ली की जामा मस्जिद में मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि इस्लाम शांति और सौहार्द का संदेश देने वाला धर्म है। भारत में भी मुसलमान अन्य धर्म के लोगों के साथ शांति और सद्भावना से रहते आ रहे हैं। यह इस्लाम का बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि

चौतरफा प्रतिबद्धता मोमिनों (धर्मनिष्ठ मुसलमानों) का जेवर है और इस्लाम नरमी का मजहब है। जो लोग दीन के मामले में हिंसक मार्ग अपनाएंगे, वे विफल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम उच्च चरित्र, प्रेम, बर्दाश्त करने की शक्ति और क्षमा करने की भावना वाला धर्म है और इसमें अतिवाद और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इससे पूर्व जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने डॉ. अल-इस्सा का स्वागत किया और हज के दौरान दुनियाभर के हाजियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय मुसलमानों की ओर से उन्हें बधाई दी।

इंकलाब (11 जुलाई) के अनुसार मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अल-इस्सा के स्वागत में एक विज्ञापन प्रकाशित कराया, जिसमें यह कहा गया कि मीडिया के कुछ लोग यह संकेत दे रहे हैं कि डॉ अल-इस्सा को भारत सरकार द्वारा इसलिए आमंत्रण दिया गया है, ताकि वे समान नागरिक संहिता पर सरकार का समर्थन करें। लेकिन हम मीडिया को यह याद दिलाना चाहते हैं कि इस्लामी शरिया की इन समस्याओं का आधार सिर्फ कुरान और हदीस है, जिसमें किसी भी सरकार को कटौती या बढ़ोतरी करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। डॉ. अल-इस्सा इस्लाम के एक विद्वान हैं, इसलिए उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे इस्लामी शरिया में कटौती या बढ़ोतरी का समर्थन करेंगे।

इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में डॉ. अल-इस्सा ने अपने संबोधन में अंतरधार्मिक सद्भावना और भारत के सेक्युलर संविधान का उल्लेख किया। इस पर जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अल-इस्सा के इस भाषण से उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है, जो उनके दौरे का उल्लेख करते हुए यह दावा कर रहे थे कि इस दौरे का लक्ष्य समान नागरिक संहिता पर डॉ. अल-इस्सा का समर्थन प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि जमीयत को अखबारों में इसलिए विज्ञापन प्रकाशित करवाना पड़ा, क्योंकि मीडिया में डॉ. अल-इस्सा के दौरे को लेकर तरह-तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थीं।

रोजनामा सहारा (15 जुलाई) के अनुसार आईएमसीआर के अध्यक्ष और पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने अपने एक बयान में कहा है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत और हिंसा की घटनाओं के बीच मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉ. अल-इस्सा के भारत दौरे पर आने के कारण मुसलमानों में भारी बेचैनी है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता पर देश में हो रही बहस के दौरान सऊदी मेहमान का भारत दौरा मोदी सरकार द्वारा मुसलमानों को अपनी गिरफ्त में लेने का एक खुफिया खेल का हिस्सा नजर आता है। उन्होंने कहा कि डॉ. अल-इस्सा के भारत दौरे के दौरान जिन संदिग्ध लोगों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है, वह हम मुसलमानों में भारी चिंता पैदा करता है। भाजपा सरकार भारत के मुसलमानों में अपनी पहुंच बनाने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जिन लोगों ने डॉ. अल-इस्सा का स्वागत किया है, उनके बारे में

सभी लोग जानते हैं कि उनके सरकार और भाजपा के साथ कैसे संबंध हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (16 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. अल-इस्सा ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को कटघरे में खड़ा नहीं किया है। उन्होंने मुसलमानों को आतंकवादी कहने की बजाय राष्ट्रवादी और संविधान को मानने वाला करार दिया है। लेकिन उनसे यह भी उम्मीद थी कि वे उन समस्याओं पर भी चर्चा करते जो इन दिनों भारतीय मुसलमानों को घेरे हुए हैं। कम-से-कम उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी में यह जरूर कहना चाहिए था कि यह सरकार मुस्लिम समस्याओं पर ध्यान देने की सोचे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा।

कुछ बड़ी मुस्लिम शख्सियतें जिनमें मौलाना अरशद मदनी भी शामिल हैं, ने इस बात के लिए डॉ. अल-इस्सा का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने भारत सरकार के समान नागरिक संहिता का समर्थन नहीं किया है। मगर सवाल यह है कि आपसी सहअस्तित्व से उनका क्या उद्देश्य है? भारतीय मुसलमानों के जीवन का यह ऐसा युग है, जिसमें मोदी सरकार ने बहुत सारी समस्याओं को उन पर जबर्दस्ती लाद दिया है। ऐसी स्थिति में मुसलमानों के राजनीतिक और धार्मिक नेताओं को बहुत सोच समझकर मुंह खोलना चाहिए। क्या मुस्लिम वर्ल्ड लीग को यह पता नहीं है कि मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की योजना बनाए हुए है? अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो यह मुसलमानों के शरीयत कानूनों पर चोट नहीं होगी? अल-इस्सा को इन बातों का पता न हो यह संभव नहीं है, क्योंकि वे मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव हैं, जिसकी स्थापना ही इसलिए हुई है कि वह दुनियाभर के मुसलमानों की समस्याओं पर नजर रखे। सच कहें तो समान नागरिक संहिता पर देश में जो हंगामा मचा हुआ है, उसे देखते हुए अल-इस्सा को भारत का दौरा ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या करें, अकीदा, दीन और ईमान की जगह निजी हित इन लोगों के लिए ज्यादा प्रिय हो गए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जो भाषण दिया उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई, जिससे कोई मतभेद उत्पन्न हो। उन्होंने भारतीय मुसलमानों की राष्ट्रीयता और देश के संविधान पर गर्व करने की प्रशंसा की और भारत को सहिष्णुता और सहअस्तित्व का एक महान मॉडल करार दिया। लेकिन डॉ. अल-इस्सा शायद इस सच से परिचित नहीं है या परिचित होते हुए भी यह बात नहीं करना चाहते कि इस देश में एक बड़ा गिरोह ऐसा है, जो संविधान को रद्द करके उसकी जगह अपने धर्म के संविधान को लागू करना चाहता है। इस गिरोह की ओर से रह रहकर देश को हिंदू राष्ट्र करार देने की मांग होती रहती है और उसके कारण देश का वातावरण बेहद जहरीला हो गया है। डॉ. अल-इस्सा को यह याद रखना चाहिए कि मुसलमानों को अपने भारतीय होने पर गर्व है, लेकिन जो भगवा तत्व हैं, वे इस देश में घर वापसी का अभियान

चलाकर और मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की सलाह देकर यह सिद्ध कर रहे हैं कि उनके सीनों में मुस्लिम दुश्मनी भरी हुई है। ये तत्व इस्लामोफोबिया का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। यह अच्छा होता कि डॉ. अल-इस्सा अजीत डोभाल की मौजूदगी में इस मुल्क के माहौल पर भी कुछ बोलते।

बाबरी-मस्जिद, बिलकिस बानो केस या फिर गुजरात दंगों को मान लेते हैं कि ये पुरानी बातें हो गई हैं। लेकिन क्या उनकी नजर में उत्तराखंड में आज हालात बिगड़े हुए नहीं हैं? क्या उन्हें यह पता नहीं चला होगा कि उत्तर काशी के इलाकों में मुसलमानों को यह धमकी दी गई थी कि वे अपने मकानों और दुकानों में ताले लगाकर वहां से चले जाएं? निश्चित रूप से अल-इस्सा की नजरों से ये समाचार गुजरे होंगे। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों को यह इंतजार था कि जब वे भारत आएंगे तो इस देश की सरकार को यह सलाह जरूर देंगे कि सहअस्तित्व के लिए यह अनिवार्य है कि अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना पैदा की जाए और उन्हें खौफ के एहसास से बाहर निकाला जाए। लेकिन डॉ. अल-इस्सा ने फिलहाल अभी तक कोई ऐसी सलाह नहीं दी है।

इस कार्यक्रम में अजीत डोभाल ने यह भी कहा है कि इस देश में सभी धर्म सुरक्षित हैं। शायद उनकी यह बात सच भी है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो बात उन्होंने कही है उसके लिए अल्पसंख्यकों को एहसास दिलाने के लिए उनकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? अजीत डोभाल और अल-इस्सा को यह चाहिए कि वे वास्तविक स्थिति को देखें। सिर्फ लंबी-लंबी बातें करने से कुछ नहीं बनने वाला। नफरत के प्रचारकों पर लगाम लगाना जरूरी है। मुसलमानों का एक वर्ग अल-इस्सा के भारत आने को संदेह की नजर से देख रहा है।

कौन हैं डॉ अल-इस्सा?

डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल-इस्सा सऊदी अरब के एक राजनेता, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव, अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक हलाल संगठन के अध्यक्ष और सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री हैं। वे सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप के भी अध्यक्ष हैं। यह संस्थान विश्व स्तर पर प्रभावशाली सरकार, विश्वास, मीडिया, व्यवसाय और सामुदायिक नेताओं का एक निकाय है, जो मानवता और दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए मिलकर काम कर रहा है।

डॉ. अल-इस्सा का जन्म 10 जून 1965 को रियाद में हुआ था। उन्होंने इमाम मुहम्मद इब्न सऊद इस्लामिक विश्वविद्यालय से तुलनात्मक इस्लामी न्यायशास्त्र (फिक्ह) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। डॉ. अल-इस्सा ने तुलनात्मक न्यायिक अध्ययन के साथ सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अध्ययन में मास्टर डिग्री और फिर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। स्नातक की पढ़ाई के बाद, अल-इस्सा ने इमाम मोहम्मद इब्न सऊद इस्लामिक विश्वविद्यालय में एक संकाय सदस्य के रूप में काम करना शुरू किया। वे 2007 में शिकायत बोर्ड (मध्यस्थता के लिए एक कानूनी निकाय) के उपाध्यक्ष बने और उन्होंने 2009 तक वहां पर काम किया।

14 फरवरी 2009 को अल-इस्सा को अब्दुल्ला बिन मुहम्मद अल-शेख के स्थान पर सऊदी कैबिनेट में न्याय मंत्री नियुक्त किया गया।

न्याय मंत्री के रूप में अल-इस्सा की नियुक्ति किंग अब्दुल्ला की सुधार पहल का हिस्सा थी। न्याय मंत्री के रूप में अल-इस्सा ने कई क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सुधारों का निरीक्षण किया, जिनमें पारिवारिक मामलों, मानवीय मामलों और महिलाओं के अधिकारों में विधायी सुधार शामिल हैं। डॉ. अल-इस्सा ने पवित्र शहर मक्का में इराकी धार्मिक नेतृत्व की एक ऐतिहासिक सभा की व्यवस्था करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका उद्देश्य इस्लाम के विभिन्न अनुयायियों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देना और व्यापक बातचीत शुरू करना था।

डॉ. अल-इस्सा को उदारवादी इस्लाम का एक अग्रणी वैश्विक आवाज के साथ-साथ चरमपंथी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई में एक मुख्य व्यक्ति माना जाता है। धार्मिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों ने समान रूप से सभी लोगों के बीच संयम, सहयोग और सहअस्तित्व को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए अल-इस्सा की सराहना की है। न्यूयॉर्क के आर्कबिशप और अमेरिका में रोमन कैथोलिक चर्च के एक प्रभावशाली सदस्य कार्डिनल टिमोथी एम. डोलन ने अल-इस्सा को दुनिया के धर्मों के बीच मेल-मिलाप और दोस्ती के लिए इस्लामी दुनिया में सबसे शानदार प्रवक्ता के रूप में संदर्भित किया है। अमेरिकी यहूदी समिति ने अल-इस्सा को उदारवादी इस्लाम को बढ़ावा देने वाली मुस्लिम दुनिया में सबसे शक्तिशाली आवाज कहा है।

एनआईए द्वारा इस्लामिक आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई

इत्तेमाद (14 जुलाई) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से संबंधित एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के चार आतंकियों को दस साल कैद की सजा सुनाई है। इस मुकदमे की सुनवाई सात जुलाई को ही पूरी कर ली गई थी और 10 जुलाई को इन्हें दोषी करार दिया गया। जिन आतंकियों को अदालत ने सजा सुनाई है, उनके नाम दानिश अंसारी (दरभंगा, बिहार), आफताब आलम (पुर्णिया, बिहार), इमरान खान (नांदेड, महाराष्ट्र) और ओबैद उर रहमान (हैदराबाद) हैं। इन पर पाकिस्तान में सक्रिय इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों रियाज भटकल और यासीन भटकल के साथ मिलकर पूरे देश में बम धमाके की साजिश रचने के आरोप लगाए गए थे। इन आतंकियों ने इसके लिए दिल्ली एवं देश के अन्य नगरों का सर्वेक्षण भी किया था।

एनआईए ने अदालत में बताया कि इन आतंकियों ने इंडियन मुजाहिदीन नामक आतंकी संगठन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से युवकों की भर्ती की थी और यह संगठन पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। एनआईए ने कहा कि मार्च 2006 में वाराणसी, जुलाई 2006 में मुंबई, 2007 में हैदराबाद, 2008 में जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों के तार इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ की अदालतों में 2007 में हुए सीरियल बम धमाकों,

2010 में बेंगलुरु स्टेडियम में हुए बम धमाकों और 2013 में हैदराबाद में हुए बम धमाकों में भी इंडियन मुजाहिदीन का ही हाथ पाया गया था।

इंडियन मुजाहिदीन के इन चारों आतंकियों के अतरिक्त कुछ अन्य आतंकियों को भी दोषी ठहराया गया है, जिनमें यासीन भटकल, असदुल्लाह अख्तर, जिया-उर-रहमान, तहसीन अख्तर और हैदर अली शामिल हैं। इनके खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा। अगस्त 2007 में हैदराबाद के मशहूर गोकुल चाट भंडार और लुंबिनी पार्क में एक साथ कई बम धमाके हुए थे, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए थे। बाद में यूएपीए के तहत इंडियन मुजाहिदीन को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था। एनआईए के अनुसार यासीन भटकल इंडियन मुजाहिदीन के प्रमुख लोगों में शामिल था और वह मुस्लिम नौजवानों को हिंसा के लिए भड़काता था। इस संगठन द्वारा 2006 में वाराणसी में एक बम धमाका किया गया था, जिसमें आठ लोग मारे गए थे।

सियासत (5 जुलाई) के अनुसार एनआईए ने इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए लोगों की तलाश में महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे और पुणे में पांच स्थानों पर छापे मारे और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुंबई के नागपाड़ा क्षेत्र से ताबिश नासिर सिद्दीकी, पुणे से जुबैर नूर मोहम्मद शेख, ठाणे से शरजील शेख और जुल्फिकार अली बड़ौदावाला शामिल हैं। एनआईए ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि इस संबंध में 28 जून को एक मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों के घरों से आपत्तिजनक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आईएसआईएस से संबंधित साहित्य जब्त किया गया है। इस सामग्री से इस बात की पुष्टि होती है कि आरोपी भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मुस्लिम युवकों को आईएसआईएस में भर्ती कर रहे थे और वे महाराष्ट्र में स्लीपर सेल बनाकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों ने कई दर्जन मुस्लिम युवकों को आईएसआईएस में भर्ती किया और उन्हें बम बनाने व चलाने का प्रशिक्षण दिया।

सियासत (5 जुलाई) के अनुसार दक्षिण मध्य रेलवे को एक गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें हैदराबाद-दिल्ली मार्ग पर उड़ीसा के बालासोर जैसी रेल दुर्घटना कराने की धमकी दी गई है। इस पत्र के मिलने के बाद रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन को आतंकवादी गतिविधियों के बारे में रेड अलर्ट जारी किया। पुलिस इस पत्र को भेजने वाले व्यक्ति का पता लगाने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि पिछले महीने के दो जून को उड़ीसा के बालासोर इलाके में भीषण रेल हादसा हुआ था, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए थे। सीबीआई इस हादसे की बारीकी से जांच कर रही है।

मलियाना हत्याकांड पर अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती

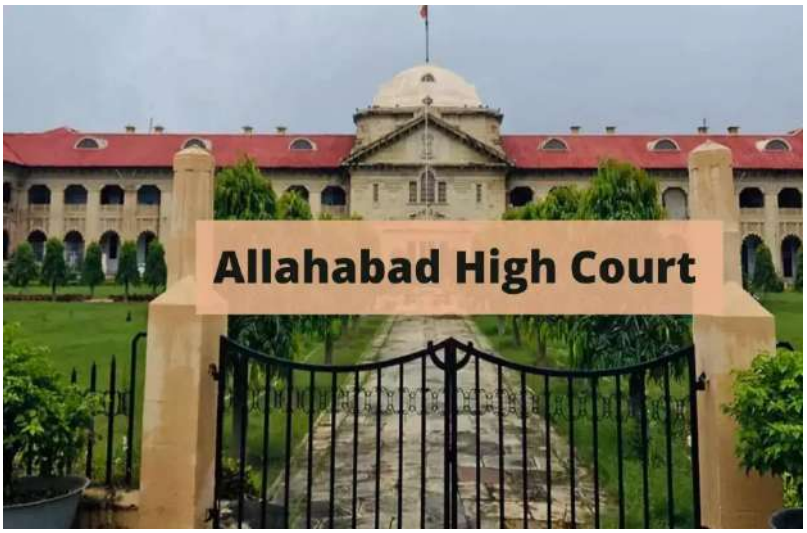

सहाफत (13 जुलाई) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ ने मलियाना में 72 मुसलमानों की हत्या के आरोपियों को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है और इस पर 14 अगस्त को सुनवाई शुरू होगी। निचली अदालत को नोटिस जारी करके इस केस से संबंधित सभी रिकॉर्ड तलब भी किए गए हैं। 36 वर्षों तक इन हत्याकांडों की सुनवाई अदालत में हुई। इसके बाद इस वर्ष के 31 मार्च को मेरठ की सत्र अदालत ने पुख्ता प्रमाण न मिलने के कारण इस केस के सभी 39 आरोपियों को बरी कर दिया था।

अपील दायर करने वाले पत्रकार कुर्बान अली का कहना है कि उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के न्यायाधीश लखविंदर सिंह सूद के फैसले को चुनौती देने वाली हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया है। हमारी ओर से यह मुकदमा दानिश अली नाम के वकील लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आशा है कि उच्च न्यायालय से पीड़ितों को न्याय मिलेगा। गौरतलब है कि 22 मई 1987 में हाशिमपुरा में दंगे शुरू हुए थे, जो अगले दिन तक मलियाना में भी फैल गए। मलियाना में पुलिस और पीएसी की गोली से 72 लोग मारे गए। जबकि हाशिमपुरा में 42 लोगों की जान चली गई थी। हाशिमपुरा केस में यह आरोप लगाया गया था कि पीएसी के कर्मचारियों ने 38 मुसलमानों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें ट्रकों में भरकर इंदिरापुरम क्षेत्र में लाया गया और वहां एक नहर के किनारे खड़ा करके उन्हें गोली मार दी गई। बाद में कुछ जख्मी अपनी जान बचाकर दिल्ली पहुंचे और इस हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ।

सत्र अदालत ने 2015 में हाशिमपुरा के आरोपियों को सबूत नहीं होने के कारण बरी कर दिया था। अदालत का कहना था कि इस बात का कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है कि इस हत्याकांड में पुलिस वालों का हाथ है। बाद में इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की गई और उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बदल दिया और कहा कि पीएसी के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या के ठोस प्रमाण हैं और यह एक टार्गेट किलिंग हैं। इसके बाद इस हत्याकांड के सभी 16 पूर्व पुलिस कर्मचारियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

देश के आने वाले चुनाव उर्दू प्रेस की नजर में

सियासत (1 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे तो कुछ महीनों के अंदर ही देश के पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इसलिए उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए जो रणनीति बनाई है वह अपनी जगह पर है। परंतु विपक्षी दलों में एकता के प्रयासों को देखते हुए भाजपा ने अभी से ही 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से तीन जोन बनाने का निर्णय किया है, जिनमें उत्तरी जोन, पूर्वी जोन और दक्षिणी जोन शामिल हैं। भाजपा के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण उत्तरी जोन है। क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जम्मू-कश्मीर आदि अनेक राज्य हैं, जहां पर भाजपा की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। पार्टी किसी भी कीमत पर इन राज्यों में अपने को कमजोर नहीं देखना चाहती। भाजपा को यह आशा है कि इन पांच राज्यों में उसे शानदार सफलता मिलेगी।

पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि भाजपा के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कठिनाईयां आ सकती हैं। यदि ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव संसदीय चुनाव पर भी पड़ेगा। अगर विपक्षी दलों में एकता संभव होती है और वे एक स्पष्ट नीति तैयार करते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी भाजपा की सीटें कम हो सकती हैं। दक्षिण भारत में भाजपा की स्थिति पहले से ही कमजोर है। पिछले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में भाजपा को जितनी सीटें मिली थीं, उसमें इस बार गिरावट आने की संभावना है। क्योंकि कर्नाटक की जनता ने

विधानसभा के चुनाव में भाजपा को ठुकराते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है। इसका प्रभाव लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ सकता है।

भाजपा जनता को प्रभावित करने के लिए विशेष रणनीति तैयार कर रही है। गोदी मीडिया को भी एजेंडे के साथ सक्रिय कर दिया गया है। देश के कुछ राज्यों में पहले की तरह ही भीड़ द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या की घटनाएं फिर से होने लगी हैं। यह सब कुछ अचानक से नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे को फिर से छेड़ दिया गया है। गोदी मीडिया में इस पर चर्चा हो रही है। कुछ मुसलमान चेहरे जोकि भाजपा और संघ की कठपुतलियां हैं, वे पार्टी की सेवाओं के बदले में काफी अच्छा मुआवजा पाते हैं। मुसलमानों में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है और इस बात की संभावना है कि आने वाले कुछ महीनों में सांप्रदायिक नफरत की आंधी चले। भाजपा सांप्रदायिक द्वेष को भड़काकर जनता के दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। गोदी मीडिया ने सांप्रदायिकता और नफरत का अभियान चलाकर महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी समस्याओं को जनता के दिलो-दिमाग से दूर कर दिया है।

इत्तेमाद (10 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बेकरार है और इस लक्ष्य से पार्टी ने अन्य राज्यों के साथ-साथ तेलंगाना में भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी रैलियों में केंद्र सरकार द्वारा विकास योजनाओं का विस्तृत रूप से उल्लेख किया। वारंगल से 26 किलोमीटर दूर एक भारी चुनावी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने रेलवे विनिर्माण ईकाई की आधारशिला रखी और राज्य के लिए 6100 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा भी कर डाली।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस पर भी जमकर निशाना साधा। समाचारपत्र का कहना है कि पूरे देश का समान विकास का दावा करने वाली केंद्र सरकार की ओर से तेलंगाना के साथ भेदभावपूर्ण नीति किसी से छिपी नहीं है। केंद्र सरकार ने तेलंगाना के निर्माण के समय वहां की जनता से जो वायदे किए थे, उनको भुला दिया है। मोदी सरकार की यह आदत बन गई है कि वे चुनाव से पहले बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखकर जनता को सब्जबाग दिखाते हैं और इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार फंड उपलब्ध कराने में कोई रुचि नहीं लेती। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की नजर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 10 पर केंद्रित है। भाजपा के इस समय तेलंगाना में चार सांसद हैं, जिनमें सिकंदराबाद से केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, करीमनगर क्षेत्र से बंदी संजय कुमार, निजामाबाद से अरविंद धर्मपुरी और आदिलाबाद से सोयम बापू राव शामिल हैं।

पार्टी का नेतृत्व अपने उम्मीदवारों के चयन में विशेष सावधानी बरत रहा है। इसके लिए जनता में सर्वेक्षण करवाया जा रहा है ताकि लोकप्रिय उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारा जा सके। पूरे राज्य में में बड़ी-बड़ी चुनावी सभाएं करने की योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेता भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भाजपा की ओर से तेलंगाना की गली-कूचों में भी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद भाजपा जिला स्तर पर भी बैठकों का आयोजन करेगी। तेलंगाना में जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए भाजपा की ओर से 'प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा' के नाम से चुनावी सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इन सभाओं में पार्टी केंद्र सरकार और भाजपा द्वारा तेलंगाना में किए जा रहे जनकल्याण कार्यों को

गिनाएगी। पार्टी कर्नाटक में हार की भरपाई अब तेलंगाना से करने का प्रयास कर रही है।

हाल ही में भाजपा द्वारा कई राज्यों में पुराने अध्यक्षों को हटाकर नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तेलंगाना के नेतृत्व में भी परिवर्तन किया गया है। बंदी संजय कुमार को हटाकर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी को तेलंगाना भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

तेलंगाना में भाजपा सत्ता में आने का सपना देख रही है और इस उद्देश्य से राज्य में सांप्रदायिक कार्ड खेलने की तैयारियां की जा रही हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव को पैदा किया जा रहा है। वारंगल में मेडिकल की एक छात्रा की आत्महत्या के मामले को भाजपा ने लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की थी। इसी तरह से हैदराबाद में एक नौजवान की हत्या को विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाने का प्रयास किया था।

सालार (6 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कर्नाटक में शानदार जीत के बाद अब कांग्रेस को उम्मीद है कि वह 2024 के चुनाव में केंद्र में सत्तारूढ़ होगी। राष्ट्रीय स्तर पर 15 से अधिक गैर-कांग्रेसी पार्टियों के इकट्ठे होकर मोदी को सत्ता से वंचित करने के नारों की गूंज तो सुनाई दे रही है, मगर क्या इसका केंद्र की सत्ता पर प्रभाव पड़ेगा? महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय जबर्दस्त भूकंप आ गया, जब मोदी के खिलाफ खड़े होने वाले विपक्षी चेहरों में से एक ताकतवर चेहरे शरद पवार को कमजोर करने में भाजपा सफल हो गई और इसके नतीजे के तौर पर अजीत पवार ने एनसीपी पर अपने स्वामित्व का दावा ठोकते हुए भाजपा-शिंदे सरकार में भागीदारी हासिल कर ली। पार्टी के अनेक बड़े नेता शरद पवार का दामन छोड़कर भाजपा के दामन को थामने में सफल रहे हैं। हालांकि यह अलग बात है कि भाजपा की ओर से इनमें से अधिकांश लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं। इनमें से बहुत से लोगों के खिलाफ जांच एजेंसियों में मुकदमे भी विचाराधीन हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल का सबसे बड़ा धक्का राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को लगा है। शरद पवार विपक्ष के कद्दावर नेताओं में से एक हैं और वे विपक्षी एकता के प्रयासों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में उनकी पार्टी को उनके पांव तले खींच कर भाजपा ने यह संदेश दे दिया है कि विपक्षी नेता चाहे जितने भी दावे करें, लेकिन खुद उनकी पार्टी उनके काबू में नहीं है। शायद यही कारण है कि जैसे ही बेंगलुरु में विपक्षी दलों की प्रस्तावित बैठक को स्थगित करने की चर्चा शुरू हुई, वैसे ही कांग्रेस ने साफ किया कि यह बैठक निर्धारित तिथि के अनुसार ही होगी और महाराष्ट्र में होने वाली घटनाओं का विपक्षी एकता के प्रयासों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सियासत (3 जुलाई) ने अपने संपादकीय में यह दावा किया है कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस का भाजपा के साथ गुप्त समझौता हो गया है। बीआरएस ने यह समझौता इसलिए किया है ताकि वह तीसरी बार भी राज्य में सत्तारूढ़ हो सके। भाजपा अब बीआरएस की गुप्त रूप से सहायता करेगी और कांग्रेस को अपना निशाना

बनाएगी। अब देखना यह होगा कि बीआरएस लोकसभा चुनावों में तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कनार्टक में कांग्रेस को नुकसान करने में कितना सफल रहती है। हालांकि भाजपा के नेता अभी तक मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और उनके परिवार वालों को अपना निशाना बना रहे हैं, मगर चुनाव नजदीक आते ही वे कांग्रेस को अपना निशाना बनाना शुरू कर देंगे। भाजपा ने तेलंगाना की दस लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्ति की योजना बनाई है। लेकिन वर्तमान समय में यह संभव दिखाई नहीं देता है।

एक अन्य समाचार के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि तेलंगाना में भाजपा के सत्ता में आने की संभावना काफी कम है और पार्टी राज्य विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि भाजपा ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है। नितिन गडकरी के इस बयान के बाद भाजपा हाईकमान में काफी बेचैनी है और इस संबंध में तेलंगाना के भाजपा नेताओं ने केंद्रीय हाईकमान से संपर्क साधकर गडकरी के इस बयान पर चिंता प्रकट की है। जबकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना में भाजपा के सत्ता में आने के दावे कर रहे हैं।

समान नागरिक संहिता पर सुझाव की अवधि में बढ़ोतरी

सहाफत (15 जुलाई) के अनुसार विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर जनता का सुझाव जानने की अवधि में विस्तार करते हुए इसे 28 जुलाई तक बढ़ा दिया है। निर्धारित अवधि 14 जुलाई को समाप्त होने वाली थी। विधि आयोग की ओर से एक परिपत्र जारी करते हुए कहा गया है कि समान नागरिक संहिता में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति या संगठन 28 जुलाई तक समान नागरिक संहिता के बारे में अपनी टिप्पणी आयोग की वेबसाइट पर दर्ज कर सकता है। गौरतलब है कि 14 जुलाई तक आयोग को 50 लाख से अधिक ऑनलाइन सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त आयोग को हार्ड कॉपी के तौर पर भी बहुत से सुझाव प्राप्त हो चुके हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 जुलाई) के अनुसार केंद्रीय मंत्रियों, हिंदू सांप्रदायिक तत्वों के बयानों, गोदी मीडिया में हो रही बहसों और कथित सर्वे के जरिए यह माहौल बनाया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता का निशाना सिर्फ मुसलमान ही होंगे। एक बड़े न्यूज चैनल न्यूज18 ने एक सैंपल सर्वे के आधार पर यह दावा किया है कि मुसलमान महिलाओं की 67 प्रतिशत आबादी समान नागरिक संहिता का समर्थन कर रही हैं। वे तलाक, निकाह, विरासत और बच्चे को गोद लेने के मामले में पूरे देश में समान कानून लागू करने के पक्ष में हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस सर्वे को फ्रॉड करार दिया है और कहा है कि यह सर्वे मोदी सरकार के इशारे पर किया गया है।

हमारा समाज (10 जुलाई) के अनुसार न्यूज18 ने यह दावा किया है कि देश की 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 8,035

महिलाओं में से 67 प्रतिशत महिलाएं समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं।

इंकलाब (15 जुलाई) के अनुसार मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को 2024 के लोकसभा चुनाव में महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनाना चाहती है, मगर अब सरकार के समर्थकों ने ही खुलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। मिजोरम में भाजपा की सहयोगी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट के सांसद के. वनलालवेना ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासियों को समान नागरिक संहिता स्वीकार नहीं है। दूसरी ओर, शिरोमणि अकाली दल ने भी समान नागरिक संहिता पर आपत्ति जताई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग को भेजे अपनी आपत्ति में कहा है कि समान नागरिक संहिता को लागू करना देश हित में नहीं है और यह विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए अस्वीकार्य है। यह अल्पसंख्यकों में भय का कारण बनेगा। गोवा की भाजपा महिला मोर्चा ने भी समान नागरिक संहिता का विरोध किया है।

सालार (4 जुलाई) के अनुसार नागालैंड के एक संगठन ने यह घोषणा की है कि अगर राज्य विधानसभा ने केंद्र के दबाव पर समान नागरिक संहिता को लागू करने के बारे में कोई विधेयक पारित किया तो विधानसभा के सभी 60 सदस्यों के सरकारी आवासों को जला दिया जाएगा। एक संगठन नागालैंड ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक राइट्स एडवोकेसी व डायरेक्ट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने से राज्य को दिए गए विशेष संवैधानिक दर्जे का हनन होगा और यह नागा जनजाति के विशिष्ट रस्मो-रिवाज का खुला उल्लंघन होगा। नागालैंड की राइजिंग पीपुल्स पार्टी ने भी कहा है कि समान नागरिक संहिता से आरएसएस के देश पर एक धर्म, एक भाषा और एक संस्कृति लादने के इरादे की पुष्टि होती है। मेघायल की हाइनीवट्रेप यूथ काउंसिल ने कहा है कि भाजपा इस कानून को आदिवासियों की विशेष पहचान और उनके विशिष्ट रस्मो-रिवाज को खत्म करने के लिए ला रही है। इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। सेंट्रल नागालैंड ट्राइबल काउंसिल के सदस्य ने भी समान नागरिक संहिता का विरोध किया है और कहा है कि यह संविधान के खिलाफ है।

सियासत (4 जुलाई) के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य समान नागरिक संहिता की आड़ में देश की बुनियादी समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से देश की जनता के ध्यान को हटाना है।

सालार (1 जुलाई) के अनुसार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार हो गया है। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई थी, वह शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। सूत्रों के अनुसार इस कमेटी ने बहु विवाह प्रथा को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। रंजना देसाई का कहना है कि बहु पत्नी प्रथा से मानवाधिकारों का हनन होता है। अब तक इस कमेटी की 63 बैठक हो चुकी है। कमेटी ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष घोषित करने की सिफारिश की है और यह भी कहा है कि सभी धर्मों में पति और पत्नी के लिए बच्चे को गोद लेने की व्यवस्था को आसान बनाया जाना चाहिए।

सभी धर्मों में बेटे और बेटियों में उत्तराधिकार की गैरबराबरी को समाप्त किया जाना चाहिए। बेटे की मौत होने के बाद उसकी संपत्ति पर उसकी विधवा का अधिकार होना चाहिए। राज्य में विवाह के पंजीकरण को भी अनिवार्य बनाए जाने की सिफारिश की गई है। इस प्रारूप के अनुसार अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने

वाले जोड़े बिना घर वालों के बताए ऐसा नहीं कर सकेंगे। अब राज्य में सभी धर्मों के लोगों को कानून के द्वारा ही तलाक लेना अनिवार्य होगा। किसी भी धर्म के पुरुष या महिला को तलाक लिए बिना एक ही साथ दो पत्नियां या पति रखने की अनुमति नहीं होगी। समान नागरिक संहिता के प्रारूप के तहत उत्तराखंड में तलाक लेने के मामले में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार हासिल होंगे। पर्सनल लॉ के तहत तलाक पर प्रतिबंध लगाई जाएगी। समान नागरिक संहिता के प्रारूप में हलाला या इद्दत के रिवाज को भी रोकने पर जोर दिया गया है।

इंकलाब (5 जुलाई) के अनुसार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान समान नागरिक संहिता के प्रारूप को तैयार करने वाली कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई भी मौजूद थीं।

इंकलाब (1 जुलाई) ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता के बारे में कमेटी की रिपोर्ट का जो प्रारूप पेश किया गया है वह शरिया और कुरान के खिलाफ है। अगर सरकार इसे लागू करेगी तो राज्य के मुसलमानों को अनेक शरई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पता चला है कि उत्तराखंड सरकार जस्टिस रंजना देसाई कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर समान नागरिक संहिता से संबंधित कानून के प्रारूप को तैयार कर रही है, जिसे शीघ्र ही विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है।

इंकलाब (9 जुलाई) के अनुसार सरकार समान नागरिक संहिता को ईसाईयों और आदिवासियों पर लागू न करने पर विचार कर रही है। इस संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड के एक प्रतिनिधिमंडल को संकेत दिया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में अमित शाह से मुलाकात की थी। यदि समान नागरिक संहिता की परिधि से ईसाईयों और आदिवासियों को बाहर रखा जाता है तो इसका सीधा निशाना मुसलमान होंगे। रंजना कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों के शरई कानूनों जैसे निकाह, तलाक, उत्तराधिकार को भी निशाना बनाया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 जुलाई) के अनुसार भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, इसलिए वह बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से जनता का ध्यान हटाने के लिए समान नागरिक संहिता के ब्रह्मास्त्र को चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल कर रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता संविधान की भावना के खिलाफ है और इससे अल्पसंख्यकों की अलग पहचान खतरे में पड़ जाएगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 जुलाई) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि इस्लामिक कानूनों की रक्षा के लिए संघर्ष करना उनका दीनी और शरई कर्तव्य है और इसके लिए पूरे देश में एक सुनियोजित आंदोलन और अभियान चलाए जाने की जरूरत है।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 जुलाई) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधि आयोग के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि हमारा उत्तर पांच भागों में विभाजित है। मुसलमानों की अलग धार्मिक पहचान कुरान, रसूल और फिक्ह हैं, जिन्हें संविधान की धारा 25 और 26 में संरक्षण प्राप्त है। इस्लाम अपने मानने वालों को यह आदेश देता है कि वे कुरान और सुन्नत में दिखाए गए आदेशों का पालन करें। इस्लाम के सभी मानने वाले अपने आप को इन आदेशों का पाबंद मानते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये किसी व्यक्ति या अदालत के बनाए हुए नहीं

सरकार से मांग की है कि वह मुसलमानों के शरिया कानून में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से बाज आए। क्योंकि यह कानून कुरान और हदीस पर आधारित है, जिसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ के संरक्षण की गारंटी 1937 में बनी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में दी गई है।

बल्कि अल्लाह के बनाए हुए हैं। मुसलमान अपनी अलग पहचान को किसी भी हाल में समाप्त नहीं कर सकते। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए हम आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे।

एक अन्य समाचार के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विपक्षी नेताओं से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में कांग्रेस के अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की है। इससे पूर्व बोर्ड शिवसेना के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात कर चुका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधि आयोग को यह भी कहा है कि समान नागरिक संहिता के नाम पर हम अपने पर्सनल लॉ, धार्मिक आजादी और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। समान नागरिक संहिता संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसलिए हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

सालार (9 जुलाई) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित करके भारत

इत्तेमाद (11 जुलाई) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उन्हें केंद्र द्वारा मुसलमानों पर लादे जा रहे समान नागरिक संहिता के कारण उत्पन्न परिस्थियों के बारे में अवगत कराया। इस प्रतिनिधिमंडल में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता भी शामिल थे। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह बदनियती से अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन कर रही है और उन पर जबरन हिंदुत्व की विचारधारा को लाद रही है।

इत्तेमाद (8 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा की सरकार ने समान नागरिक संहिता के बारे में अपने एजेंडे को स्पष्ट कर दिया है। अब देश के मुसलमानों के साथ-साथ अन्य धर्मों के अनुयायियों की भी बारी है कि वे अपनी अलग पहचान और धार्मिक आजादी की रक्षा के लिए मैदान में आएं।

पंजाब में मुस्लिम मतों को बटोरने की आम आदमी पार्टी की नीति

सियासत (11 जुलाई) के अनुसार पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी राज्य के मुसलमानों और सिखों के मतों को बटोरने के लिए एक नई रणनीति अपना रही है, जिसके तहत भारत विभाजन के दौरान मुसलमानों द्वारा उनकी छोड़ी हुई मस्जिदों की वापसी का अभियान चलाया जा रहा है। आजादी से पूर्व पंजाब में मुसलमानों की आबादी 40 प्रतिशत थी, जो अब सिर्फ दो प्रतिशत ही रह गई है। क्योंकि ज्यादातर मुसलमान पाकिस्तानी पंजाब के इलाके में चले गए थे। आम आदमी पार्टी इस बात का प्रयास कर रही है कि राज्य के विभिन्न गांवों में विभाजन के बाद से मुसलमानों की जो खाली मस्जिदें पड़ी हुई हैं, उन्हें गांव के सिख निवासी मुसलमानों को वापस करने के लिए विशेष अभियान चलाएं।

जमात-ए-इस्लामी, पंजाब ने दावा किया है कि पिछले कुछ वर्षों में 165 पुरानी मस्जिदों को मुसलमानों के हवाले किया गया है। दिसंबर 2022 में बरनाला जिले के बख्तगढ़ गांव में एक सिख किसान अमनदीप सिंह की पहल पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस मस्जिद के निर्माण के लिए उन्होंने ढ़ाई सौ वर्ग गज भूखंड मस्जिद के नाम पर दिया था और गांव के सिख निवासियों ने दो लाख रुपये की सहयोग राशि मस्जिद के निर्माण के लिए दी थी। अमनदीप ने कहा कि इस मस्जिद के नवनिर्माण करके 15 मुस्लिम परिवारों को इस गांव में बसाया गया और मस्जिद के उद्घाटन के समय सिखों और मुसलमानों ने संयुक्त रूप से लंगर का आयोजन किया।

80 वर्षीय खोखर खान का कहना है कि जब देश का विभाजन हुआ था, तो वे बठिंडा के बल्लोह गांव में रहते थे। गांव वालों ने उन्हें पाकिस्तान नहीं जाने दिया और उन्होंने हमारे लिए चंदा इकट्ठा करके एक मस्जिद का निर्माण कराया। इस मस्जिद में इस साल की ईद से नियमित रूप से नमाज पढ़ी जाने लगी है। पंजाबी संगीतकार भजन सिंह ने कहा है कि सिख और मुसलमान एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं। उत्तर प्रदेश से जो मुसलमान काम-काज के लिए पंजाब आते हैं, उनके लिए मस्जिदों की व्यवस्था करना हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन के समय पंजाब के मुसलमान जो मस्जिदें छोड़ गए थे, उनमें से 50 प्रतिशत में इन दिनों गुरुद्वारे हैं। सिखों का यह कर्तव्य है कि वे धार्मिक सद्भावना के लिए इन गुरुद्वारों में बनी मस्जिदों को उनके हवाले कर दें।

यूएनएचआरसी में कुरान के अपमान के खिलाफ पाकिस्तानी प्रस्ताव मंजूर

मुंबई उर्दू न्यूज (13 जुलाई) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने कुरान के अपमान के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। समाचार एजेंसी के अनुसार पाकिस्तान के प्रस्ताव में कुरान के अपमान सहित धार्मिक नफरत फैलाने की भी निंदा की गई है। प्रस्ताव में कुरान का अपमान करने के मामले में लिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है और विश्व के देशों से यह अपील की गई है कि वे धार्मिक नफरत को रोकने के लिए कानून बनाएं और उसे सख्ती से लागू करें। पाकिस्तान के प्रस्ताव का 28 देशों ने समर्थन किया, जिनमें भारत भी शामिल है। जबकि 12 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और सात देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।

गौरतलब है कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर एक इराकी मूल के व्यक्ति, जो अब स्वीडन का नागरिक है ने कुरान को जलाकर उसकी बेइज्जती की थी। समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि इस इराकी मूल के व्यक्ति ने कुरान को जलाने की अनुमति पुलिस से मांगी थी, जिसे पुलिस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। मगर बाद में एक स्थानीय अदालत ने पुलिस के इस रवैये को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ करार दिया और उस व्यक्ति को कुरान को जलाने का मौका मिल गया। ईरान और पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों ने यह आरोप लगाया है कि कुरान

के अपमान की आड़ में धार्मिक नफरत को हवा दी जा रही है। उन्होंने मुसलमानों के पवित्र पुस्तक के अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। गौरतलब है कि पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव से पहले इस घटना पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रमुख से रिपोर्ट मांगी गई थी। उन्होंने विश्व के देशों से मांग की थी कि वे अपने कानूनों पर पुनर्विचार करके ऐसी व्यवस्था को दूर करें, जिनके कारण धार्मिक नफरत पैदा करने वाली गतिविधियों का समर्थन होता है और इन्हें रोकने में बाधा उत्पन्न होती है। पश्चिमी देशों को इस बात की चिंता है कि मुस्लिम देशों के इस प्रस्ताव से अभिव्यक्ति की आजादी और मानवाधिकारों के संरक्षण में आ रही चुनौतियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा।

इत्तेमाद (13 जुलाई) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के आपातकालीन अधिवेशन में स्वीडन में कुरान को जलाने की घटना पर बहस हुई। इसमें भाग लेते हुए पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान सहित सभी इस्लामिक देशों ने कुरान को जलाने और धार्मिक नफरत की भावना को हवा देने वाली ऐसी घटनाओं को सख्ती से रोकने और दोषियों को सख्त सजा देने पर जोर दिया था। चर्चा के बाद अमेरिका और ब्रिटेन सहित सभी यूरोपीय देशों ने कुरान को जलाने की निंदा करने के बाद मतदान में भाग नहीं लिया। कुछ अन्य देशों ने प्रस्ताव के शब्दों के पुनर्निरीक्षण की मांग की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आरोप लगाया था कि ऐसी हरकत धार्मिक नफरत को उकसाने और हिंसा को हवा देने की कोशिश है और ऐसी घटनाओं से मुसलमानों की मानसिकता पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे समझना जरूरी है। क्योंकि यह उनके ईमान पर हमला है। उन्होंने कहा कि विश्व में एक भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं है, जो दूसरे धर्मों की पवित्र पुस्तकों के अपमान की अनुमति देता हो। मुसलमानों की सभ्यता, आस्था और कानून में भी इसका निषेध किया गया है।

चर्चा में ओआईसी और पश्चिमी देशों के बीच के मतभेद भी उजागर हुए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि कुरान के अपमान की कोई वजह ही पैदा नहीं होती है। ऐसी घटनाओं से अतिवाद और नस्लवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। सऊदी अरब सहनशीलता और सहिष्णुता को मजबूत करना चाहता है। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियों को रोका जाए।

सियासत (4 जुलाई) के अनुसार पोप फ्रांसिस ने स्वीडन में कुरान को जलाए जाने पर चिंता प्रकट करते हुए इस घटना की निंदा की है और कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में इस तरह की घटनाओं की अनुमति नहीं दी जा सकती। सऊदी अरब ने इस घटना पर क्रोध प्रकट करते हुए स्वीडन के राजदूत को तलब किया था। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान, तुर्किये, जॉर्डन, फिलिस्तीन, मोरक्को, इराक, ईरान, बांग्लादेश, मलेशिया आदि सौ से अधिक इस्लामिक देशों ने भी इस घटना की निंदा की और स्वीडन से दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

सियासत (11 जुलाई) के अनुसार स्वीडन में जिस स्थान पर कुरान का अपमान किया गया था वहां पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के हजारों मुसलमानों ने हिस्सा लिया और कुरान का अपमान करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे सख्त सजा देने की मांग की गई। इस घटना के खिलाफ इंग्लैंड के एक दर्जन स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। अनेक इस्लामिक देशों ने स्वीडन में बने विभिन्न उत्पादों को अपने देशों में खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान में इस अवसर पर कुरान की पवित्रता का दिवस मनाया गया।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 जुलाई) के अनुसार मोरक्को ने स्वीडन से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। ओआईसी ने भी कुरान जलाए जाने की घटना की निंदा की है और विश्व भर के देशों से अपील की है कि वे इस्लाम, कुरान और रसूल के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने कहा है कि यह हरकत घोर निंदनीय है। जब तक इस्लाम के ऐसे दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तब तक किसी भी मुसलमान को चैन नहीं आ सकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि रूस में कुरान का अपमान करना जुर्म है। व्लादिमीर पुतिन एक मस्जिद में गए और कुरान को हाथ में लेकर उसे चूमा और कहा कि उनका देश कुरान और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का आदर करता है।

यमन के इस्लामिक आतंकी संगठन अंसारुल्लाह ने कहा कि कुरान को जलाए जाने की घटनाओं और दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने के लिए हम स्वीडन की निंदा करते हैं। यह इस्लाम की खुली दुश्मनी है और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं पर आघात है। संगठन ने दावा किया कि इस जुर्म के पीछे यूरोप की यहूदी लॉबी का हाथ है। कुरान को जलाने की यह शर्मानाक हरकत उस दिन की गई, जब मुसलमान ईद मना रहे थे। अगर मिल्लत इस्लामिया खुदा के दुश्मनों को कड़ा संदेश देती तो यहूदियों और काफिर पश्चिमी देशों को इस्लाम की पवित्रता को भंग करने और इस्लाम की तौहीन करने के सिलसिले को जारी रखने की हिम्मत नहीं होती। हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका सख्त जवाब देंगे।

इत्तेमाद (12 जुलाई) के अनुसार अफगानिस्तान ने इस घटना के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए उसने अफगानिस्तान में स्वीडन की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है कि जब तक इस शर्मानाक घटना पर माफी नहीं मांगी जाती, तब तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। अफगानिस्तान ने सभी इस्लामिक देशों से कहा है कि वे स्वीडन से अपने संबंधों को तोड़ लें।

एक अन्य समाचार के अनुसार कुवैत सरकार ने स्वीडिश भाषा में कुरान की एक लाख प्रतियां प्रकाशित करने का फैसला किया है, ताकि वहां की जनता को इस्लाम की सहिष्णुता और महानता के बारे में जानकारी मिल सके।

इत्तेमाद (7 जुलाई) के अनुसार कुरान के अपमान पर पूरे विश्व में जो बवाल मचा है, उसके बाद स्वीडन के न्याय मंत्री ने कहा है कि इस घटना से स्वीडन की प्रतिष्ठा को भारी क्षति पहुंची है। अब सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुरान या किसी भी अन्य धार्मिक पुस्तक के अपमान को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए और जो भी व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

इत्तेमाद (3 जुलाई) ने अपने संपादकीय में स्वीडन में कुरान जलाए जाने की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसी हरकतों से पूरे विश्व के मुसलमानों की भावनाओं को उत्तेजित किया जा रहा है। संपादकीय में कहा गया है कि कुरान का अपमान करने वाले व्यक्ति का नाम सलवान मोमिका है और उसकी उम्र 37 वर्ष है। वह कुछ वर्ष पहले ही इराक से स्वीडन आया था। समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि स्वीडन में पिछले कई वर्षों से इस्लाम के दुश्मनों द्वारा कुरान और इस्लाम का अपमान किया जा रहा है। इससे पहले भी अतिवादी दक्षिणपंथी नेता रासमस पलुदन ऐसी हरकतें कर चुके हैं। पूरे इस्लामिक जगत में इस घटना की घोर निंदा की गई है और कहा गया है कि इस तरह की घिनौनी और इस्लाम दुश्मन हरकतों को किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जा सकता।

समाचारपत्र ने कहा है कि मिस्र ने इसे इस्लाम पर हमला करार दिया है और ऐसी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की घोषणा की है। ओआईसी ने इस गुस्ताख हरकत पर जेद्दा में अपना एक आपातकालीन अधिवेशन बुलाया था। अजीब बात है कि इसके बावजूद यूरोपीय यूनियन ने परोक्ष रूप से कुरान जलाए जाने की घटना का समर्थन किया। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम अब्दुल अजीज अल-शेख ने इस गुस्ताख हरकत की निंदा करते हुए पूरे विश्व से यह अपील की है कि वे ऐसी इस्लाम दुश्मन घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं।

कौमी तंजीम (10 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि बार-बार कुरान का अपमान करने की अनुमति देना अब स्वीडन को काफी महंगा पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर ऐसी हरकतों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। यहां तक कि पोप फ्रांसिस ने भी इस घटना की निंदा की है। ओआईसी के महासचिव ने कहा है कि जिस तरह से कुरान और हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी की जा रही है वह इस्लामोफोबिया की मामूली घटना नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ गहरी साजिश है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी इस्लामिक देशों को एकजुट हो जाना चाहिए।

सालार (8 जुलाई) ने अपने संपादकीय में दुनिया के सभी देशों से अपील की है कि वे स्वीडन का विश्व स्तर पर बहिष्कार करें। क्योंकि कुरान और पैगंबर मोहम्मद के अपमान की घटना को अभिव्यक्ति की आजादी करार देना किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी मुस्लिम देशों को एकजुट हो जाना चाहिए और इस्लाम, कुरान और पैगंबर के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (2 जुलाई) ने अपने संपादकीय में इस बात का उल्लेख किया है कि यह नापाक हरकत बार-बार स्वीडन में ही क्यों हो रही है? स्वीडन के पड़ोसी देश डेनमार्क की स्ट्रैम कुर्स नामक पार्टी ने 2020 से ही स्वीडन के विभिन्न हिस्सों में कुरान जलाने की नापाक हरकत करती आ रही है। अप्रैल 2022 में इसी पार्टी के एक नेता के इशारे पर सुनियोजित ढंग से अनेक स्थानों पर कुरान को जलाया गया था। इसके बाद स्वीडन में कई जगह दंगे भी हुए थे। शर्म की बात है कि इन इस्लाम दुश्मन हरकतों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कानूनन मान्यता दी गई। इस पार्टी के नेता कुरान, इस्लाम और रसूल का नामोनिशान मिटाने की खुलेआम घोषणा करते रहे हैं। उनका कहना है कि वे यूरोप से इस्लाम का नोमोनिशान मिटा देंगे। इसी तरह से नार्वे में इस्लाम विरोधी नेता लार्स थोरसन ने 2019 में 'स्टॉप इस्लामिजेशन ऑफ नार्वे' नाम की एक पार्टी बनाई थी और इस पार्टी ने नार्वे में अपनी रैलियों में कुरान को फाड़ने और उस पर थूकने का अभियान चलाया।

समाचारपत्र ने कहा है कि ये इस्लाम दुश्मन हरकतें स्कैंडिनेवियन देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों में भी फैली हुई हैं। 2011 में एक पादरी ने एक वीडियो में यह स्वीकार किया था कि उसने कई स्थानों पर कुरान और पैगंबर का अपमान किया है। इसके खिलाफ अफगानिस्तान में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 12 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। ये नापाक हरकतें इसलिए जल्द रूकने वाली नहीं हैं, क्योंकि तथाकथित लोकतांत्रिक और सेक्युलर चेहरे वाले लोग इसे अभिव्यक्ति का नाम दे देते हैं। ये लोग नस्ल-परस्त भी हैं और इस्लाम दुश्मन भी। दरअसल वे बार-बार कुरान को जलाकर मुसलमानों को यह संदेश देना चाहते हैं कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। मुसलमान पूरे विश्व में सबसे कमजोर हैं और उनकी पवित्र पुस्तक और पैगंबर की कोई हैसियत नहीं है। समाचारपत्र ने कहा है कि हमने पहले मुस्लिम देशों से अपील की थी कि वे स्वीडन, डेनमार्क

और नार्वे से राजनयिक संबंध तोड़ लें और कुरान को जलाने वाले आरोपियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। लेकिन किसी भी मुस्लिम देश ने हमारी इस सलाह पर अमल नहीं किया। इससे इस्लाम और पैगंबर के दुश्मनों के हौसले बढ़े हैं।

सालार (14 जुलाई) ने अपने संपादकीय में मुसलमानों को उकसाते हुए यह कहा है कि यूं तो इस्लाम विरोधी ताकतें और बीमार मानसिकता के लोग हर बार पवित्र कुरान का अपमान करके मुसलमानों की भावनाओं को आहत करते आ रहे हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि इस बार स्वीडन सरकार ने कुरान को जलाने की अनुमति तक दे दी। इतना बड़ा और शर्मनाक हादसा हो जाने के बाद भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया और न्याय, समता, एकता और मानवता के तथाकथित ठेकेदार बिल्कुल ही मूकदर्शक बने हुए हैं। सबसे दुखदायी बात यह है कि खुद भी मुसलमान चुप्पी साधे हुए हैं। वे मुसलमान जो कभी इस्लाम, कुरान और रसूल के गौरव और सम्मान के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते थे, आज वे कुरान जलाए जाने के बाद भी खामोश हैं। जबकि वे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कौम हैं और मुस्लिम जगत बिल्कुल ही इस पर मौन धारन किए हुए है। क्या स्वीडन सरकार की इस बेहुदगी का मुहतोड़ जवाब देना हर मुसलमान का कर्तव्य नहीं है? क्या स्वीडन के साथ मुस्लिम देशों के राजनयिक संबंधों को बरकरार रखना उचित कहा जाएगा? पूरी दुनिया के मुसलमानों और उनके शासकों को कुरान, इस्लाम और पैगंबर के अपमान पर गंभीरता से सोचना होगा और अपने इमान को टटोलना होगा। ऐसे देशों से संबंध समाप्त करने होंगे, जो कुरान जलाने वालों को आज तक फांसी पर लटकाने में विफल रहे हैं।

अफगानिस्तान में चीन द्वारा तेल का उत्खनन

इत्तेमाद (10 जुलाई) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक चीनी कंपनी के सहयोग से उत्तरी अफगानिस्तान में तेल निकालने का काम शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के खनिज मंत्री शहाबुद्दीन डेलावर का कहना है कि फिलहाल सर-ए-पोल प्रांत में तेल के कुएं से प्रतिदिन 100 टन तेल निकाला जा रहा है। इसमें और भी वृद्धि होने की संभावना है। इससे तालिबान सरकार को करोड़ों डॉलर की आमदनी होगी। अफगानिस्तान की सरकारी तेल व गैस कंपनी और एक चीनी कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से यह तेल निकाला जा रहा है। अफगानिस्तान के

खनिज मंत्री ने हाल ही में इस परियोजना का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उनके साथ चीनी कंपनी के अधिकारी भी मौजूद थे। बाद में उन्होंने अफगानिस्तान और चीन के सरकारी टेलीविजनों को बताया कि सर-ए-पोल प्रांत में स्थित कुएं से तेल निकालने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा और वहां शीघ्र ही तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 200 टन तक वृद्धि होने की संभावना है। इस वर्ष के अंत तक इस क्षेत्र में 15 और तेल के कुएं खोदे जाएंगे, जिनसे प्रतिदिन एक हजार टन से अधिक कच्चे तेल मिलने की संभावना है। शहाबुद्दीन डेलावर ने कहा कि हम अफगानिस्तान में तेल की खोज का काम विदेशों के सहयोग से करने के इच्छुक हैं। यही कंपनियां तेल की तलाश और उत्पादन की परियोजनाओं में पूंजी निवेश भी करेंगी। इससे स्थानीय युवकों को काफी रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना हालांकि 25 वर्ष पुरानी है, मगर अभी तक किसी ने भी कच्चे तेल निकालने का काम शुरू नहीं किया था। यह क्षेत्र अफगानिस्तान के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में शामिल है।

इस साल के प्रारंभ में तालिबान सरकार ने शिनजियांग स्थित चीनी कंपनी सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी (सीएपीईआईसी) के साथ देश के उत्तरी भाग में तेल निकालने के लिए 25 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत प्रारंभ में अफगान सरकार की भागीदारी 20 प्रतिशत होगी, जोकि बाद में बढ़कर 70 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। इस समझौते के अनुसार चीनी कंपनी पहले वर्ष में इस क्षेत्र से तेल निकालने में 150 मिलियन डॉलर का पूंजी निवेश करेगी और यह धनराशि तीन वर्षों में बढ़कर 540 मिलियन डॉलर तक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तरी अफगानिस्तान के पांच क्षेत्रों में कच्चे तेल के विशाल भंडार मिले हैं, जोकि साढ़े चार हजार किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं।

अफगान सरकार के सूत्रों के अनुसार अफगानिस्तान में खनिज, तेल और गैस के विपुल भंडार मौजूद हैं, जिनके मूल्य का अनुमान तीन ट्रिलियन डॉलर तक लगाया गया है। पिछले चार दशक से अफगानिस्तान में चल रहे गृहयुद्ध के कारण अफगानिस्तान अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं कर सका था। चीन की सरकारी कंपनियां अफगानिस्तान में खनिज पदार्थों का दोहन करने में सबसे आगे हैं। उन्होंने तांबे और लिथियम के विशाल भंडारों की भी खोज की है। इसके अतिरिक्त एक चीनी कंपनी ने अफगानिस्तान में बिजली के उत्पादन, सीमेंट बनाने का संयंत्र और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 350 मिलियन डॉलर के पूंजी निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई है। अफगानिस्तान में इस चीनी कंपनी के प्रतिनिधि ने अफगानिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री मौलवी अब्दुल कबीर से इस संबंध में मुलाकात की थी और उन्हें खनिज भंडारों और पेट्रोलियम के विपुल भंडारों के दोहन के बारे में विस्तृत परियोजना के बारे में जानकारी दी थी। ■

अफगानिस्तान में ब्यूटी सैलून बंद करने का आदेश

मुंबई उर्दू न्यूज (5 जुलाई) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने देश भर में सभी ब्यूटी सैलूनों को एक महीने के अंदर बंद करने का निर्देश दिया है। सरकारी प्रवक्ता मोहम्मद सादिक आकिफ ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि ब्यूटी सैलून इस्लामिक शरिया के अनुसार नहीं है। ये पश्चिमी देशों का चलन है, जिसे किसी भी इस्लामिक देश में सहन नहीं किया जा सकता है।

गौरतलब है कि पिछले साल अफगान सरकार ने लड़कियों के हाई स्कूल की शिक्षा पर

प्रतिबंध लगा दिया था और महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय के दरवाजे बंद कर दिए थे। इसके अतिरिक्त जिम और पार्कों को भी महिलाओं के लिए बंद कर दिया गया था। तालिबान सरकार ने कहा है कि हम शरीयत के अनुसार अपना प्रशासन चलाना चाहते हैं और इसमें हम किसी भी तरह का विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे।

इंकलाब (7 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और इंडोनेशिया के इस्लामिक विद्वानों ने तालिबान सरकार से आग्रह किया है कि वह महिलाओं पर लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों को तुरंत हटा ले, क्योंकि इस्लाम महिलाओं के स्कूल जाने और नौकरी करने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। इन विद्वानों ने यह कहा है कि शरीयत में भी महिलाओं पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाल ही में ओआईसी का एक प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान गया था और उसने तालिबान शासकों को यह बताने की कोशिश की थी कि इस्लाम में शिक्षा का महत्व है और शिक्षा से महिलाओं को वंचित करना इस्लाम और शरिया के मूल भावना के खिलाफ है। पश्चिमी देश और संयुक्त राष्ट्र संघ अफगानिस्तान में मलिहाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा पहले से ही कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद अफगान सरकार ने उनके अनुरोध को नहीं माना है।

इत्तेमाद (11 जुलाई) के अनुसार अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि किसी भी विदेशी विद्वान को हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने या हमें सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपना प्रशासन इस्लाम और शरिया के उसूलों के अनुसार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में अफगानिस्तान की आर्थिक बदहाली के बारे में जो नकारात्मक चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है, वह उनके दुष्प्रचार का एक हिस्सा है।

पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा तीन अरब डॉलर का कर्ज

मुंबई उर्दू न्यूज (1 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बीच तीन अरब अमेरिकी डॉलर की स्टैंड-बाय व्यवस्था पर समझौता हो गया है। आईएमएफ के सरकारी प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है। इससे पाकिस्तान के दिवालिया घोषित किए जाने का खतरा फिलहाल टल गया है। इस समझौते से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और उसे आर्थिक संकट से उबरने का मौका मिलेगा।

सियासत (3 जुलाई) के अनुसार इस कर्ज के मिलने के बाद पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज लेने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इस संस्थान के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2023 तक आईएमएफ से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में पाकिस्तान पांचवें नंबर पर था। अब आईएमएफ से तीन अरब डॉलर मिलने के बाद पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ गया है। आईएमएफ से कर्ज लेने वाले बड़े देशों में अर्जेंटीना पहले स्थान पर है, जिसने 46 अरब डॉलर का कर्ज ले रखा है। दूसरे स्थान पर मिस्र है, जिसने 18 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। तीसरे स्थान पर यूक्रेन है, जिसने 12.2 अरब

डॉलर का कर्ज लिया है। पाकिस्तान से पहले चौथे नंबर पर इक्वाडोर था, जिसने 8.2 अरब डॉलर का कर्ज ले रखा था। अब इक्वाडोर पांचवें स्थान पर आ गया है। इससे पहले पाकिस्तान पांचवें नंबर पर था, जिसने 7.4 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। अब तीन अरब डॉलर का और कर्ज लेने के बाद पाकिस्तान पर इस संस्थान का 10.4 अरब डॉलर का कर्ज हो गया है। आईएमएफ के 31 मार्च 2023 के आकड़ों के अनुसार आईएमएफ ने विभिन्न देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए अब तक 155 अरब डॉलर का कर्ज दे चुका है। एशियाई देशों में भी पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा कर्ज है। एशिया के अन्य देश जिन्होंने आईएमएफ से कर्ज लिया हुआ है, उनमें श्रीलंका, नेपाल, उज्बेकिस्तान, किर्गिजस्तान, आर्मीनिया और मंगोलिया शामिल हैं। मगर वे कर्ज लेने में पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं।

सियासत (12 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने स्वीकार किया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए उसे दो अरब डॉलर का कर्ज दिया है। यह धनराशि पाकिस्तान के स्टेट बैंक में ट्रांसफर कर दी गई है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की ओर से सऊदी अरब के शासकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि सऊदी अरब एक अच्छे भाई की तरह हर नाजुक मौके पर पाकिस्तान की सहायता करता आ रहा है और यह इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविर पर फायरिंग में छह मरे

रोजनामा सहारा (9 जुलाई) के अनुसार बांग्लादेश में स्थित रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में सबूत इकट्ठे करने आए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के वकीलों के दौरे के बाद हुई झड़पों में पुलिस की गोली से कम-से-कम छह लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार शरणार्थियों के शिविर में आपस के दो विरोधी गुटों रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी और रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच खूनी झड़पें हुईं। इसके बाद सशस्त्र पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें छह लोग मारे गए। पुलिस प्रवक्ता फारूक अहमद ने कहा कि मारे जाने वाले लोगों का संबंध रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी से था। इस घटना के बाद शरणार्थी शिविरों की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि खूनी झड़पों की शुरुआत साल्वेशन आर्मी के कैडर द्वारा शरणार्थियों के एक नेता की हत्या के साथ शुरू हुई।

गौरतलब है कि इससे पूर्व भी इन दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच अनेक बार झड़पें हो चुकी हैं, जिसमें दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के वकील करीम ए. ए. खान ने ढाका में पत्रकारों को बताया कि इन हत्याओं से अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय का कोई लेना-देना नहीं है। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने 2019 में म्यांमार में रोहिंग्याओं के नस्ल उन्मूलन के अभियान की जांच प्रारंभ की थी। बांग्लादेश में इस समय दस हजार से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, जिन्होंने म्यांमार की सेना द्वारा उनके खिलाफ शुरू किए गए अभियान के बाद बांग्लादेश में शरण ली थी।

फिलिस्तीन के शरणार्थी शिविरों पर हमले में नौ मरे

अवधनामा (5 जुलाई) के अनुसार इजरायल ने वेस्ट बैंक पर एक बड़े फौजी ऑपरेशन में जेनिन नगर और उसके शरणार्थी कैंपों पर जमीनी और हवाई हमले किए, जिनमें दर्जनों लोग जख्मी हो गए और नौ लोग मारे गए। इस खबर की पुष्टि फिलिस्तीन की सरकार ने की है। इन कार्रवाईयों के साथ ही इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। बताया गया है कि 2002 के बाद यह फिलिस्तीनी शरणार्थियों के बाद सबसे बड़ा इजरायली फौजी ऑपरेशन है। अल जजीरा के अनुसार इजरायली विशेष बल की 150 गाड़ियों और एक हजार सैनिकों के द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

इस अवसर पर इजरायली सेना और फिलिस्तीनी प्रतिरोधक संगठनों के बीच खुलकर गोलीबारी हुई, जिसमें कम-से-कम नौ फिलिस्तीनी मारे गए और 50 गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलिस्तीन के सूचना केंद्र ने बताया कि यह ऑपरेशन रविवार की शाम को शुरू किया गया था, जिसका हमास और अन्य फिलिस्तीनी संगठनों ने जवाब दिया। हमास के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल इस आक्रामकता के बावजूद भी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकेगा। हमास के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल की फासिस्ट और अतिवादी सरकार इस हमले के लिए जिम्मेवार है। जेनिन ने इतिहास में इस बात को कई बार साबित किया है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता और वह दुश्मन का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। फिलिस्तीनी जनता आजादी मिलने तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

हमास के पोलित ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हनियेह ने कहा कि हम इजरायली फौज का डटकर मुकाबला करेंगे। इजरायली सरकार ने दावा किया है कि वह इस क्षेत्र में जो आतंकवादी ठिकाने थे, उनको ही अपना निशाना बना रही है और आम नागरिकों का इससे कोई सरोकार नहीं है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतयेह ने कहा कि इजरायल इस शिविर को खत्म करना चाहता है और वहां पर रहने वालों को बेघर करना चाहता है। जॉर्डन और मिस्र ने इजरायल के फॉजी ऑपरेशन की निंदा की है और कहा है कि यह विश्व कानून का उल्लंघन है। जॉर्डन के विदेश

मंत्रालय के प्रवक्ता ने विश्व से अपील की है कि वह तुरंत हस्तक्षेप करके इजरायली हमले को रूकवाए और फिलिस्तीनी जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर इजरायल ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपना ऑपरेशन जारी रखा तो उसे खतरनाक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। प्रवक्ता ने संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की है कि वह तुरंत हस्तक्षेप करके इजरायल की आक्रामक कार्रवाईयों को रूकवाए। इस दौरान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने रामल्ला में एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें पूरी स्थिति का जायजा लिया और कहा कि हम रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ मिलकर घायलों को डॉक्टरी सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एंबुलेंस घायलों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि फिलिस्तीनी लड़ाकुओं और इजरायली सेना के बीच युद्ध हो रहा है।

जेनिन के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि इजरायली सेना न केवल जनता बल्कि भवनों को भी अपना निशाना बना रही है। इजरायली सेना ने पूरे नगर की बिजली, पानी और दूरसंचार को काट दिया है। बमबारी से 500 से अधिक घर तबाह हो गए हैं। जेनिन ब्रिगेड संगठन ने कहा कि वह इजरायली सेना का मुकाबला कर रही है। गाजा में इस्लामिक जिहाद ने एक बयान में कहा है कि वे इजरायल की इस आक्रामकता का जवाब देने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पूर्व भी 19 जून को इजरायली सैनिकों ने जेनिन नगर पर इसी तरह का हमला किया था, जिसमें कम से कम नौ लोग मारे गए थे और 90 घायल हुए थे।

सियासत (4 जुलाई) के अनुसार पिछले तीन दिनों से इजरायली सैनिक जेनिन नगर और उसके शरणार्थी कैंपों पर निरंतर हवाई हमले कर रहे हैं। इस दौरान रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से हमले किए गए। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने इजरायली अखबार यरुशलम पोस्ट को बताया कि इस शरणार्थी शिविर में सात आतंकवादी संगठनों से संबंधित लोगों को मारा गया है और दर्जनों को गिरफ्तार किया गया है। इजरायली सेना ने इस क्षेत्र में बड़े फौजी ऑपरेशन के दौरान दर्जनों घरों पर छापे मारे और 200 के लगभग लोगों को गिरफ्तार किया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि जेनिन में जो कुछ हो रहा है वह निहत्थे फिलिस्तीनियों के खिलाफ वॉर क्राइम है।

रोजनामा सहारा (6 जुलाई) के अनुसार इजरायली सेना ने यह स्वीकार किया है कि वेस्ट बैंक में शरणार्थी शिविर में शुरू की गई कार्रवाई के दौरान एक इजरायली सैनिक भी मारा गया है। यह कार्रवाई 24 घंटे तक जारी रही, जोकि हाल के वर्षों में इजरायल की सबसे बड़ी सैनिक कार्रवाई कही जा सकती है। फिलिस्तीनी आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने के बाद इजरायली सेना वापस लौट आई। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा है कि जब इजरायली सेना इस क्षेत्र को खाली कर रही थी तो उसकी हमास और अन्य आतंकी संगठनों के आतंकियों के साथ झड़पें हुईं। फिलिस्तीनी सूचना केंद्र के अनुसार इस कार्रवाई में अब तक एक दर्जन से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। जबकि 120 घायल हुए हैं और एक इजरायली भी मारा गया है। इस अभियान में सेना के बुलडोजरों और ड्रोनों ने भी हिस्सा लिया।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 जुलाई) के अनुसार इजरायली सैनिकों का सामना जेनिन ब्रिगेड से हुआ, जोकि नगर के मध्य में स्थित शरणार्थी शिविर में डेरे डाले हुए थे। इस कैंप में 14 हजार से अधिक फिलिस्तीनी रहते हैं। फिलिस्तीन के क्षेत्र जेनिन और शरणार्थी शिविर में दो दिनों तक चलने वाली इजरायली सेना की कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विशेष आपातकालीन अधिवेशन बुलाया है। सुरक्षा परिषद का यह अधिवेशन बंद कमरे में होगा, जिसमें मध्य-पूर्व के ताजा हालात पर विचार किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र

मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने इजरायल द्वारा की जा रही हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इजरायल अधिकृत वेस्ट बैंक में पिछले 20 वर्षों में इजरायली सेना की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल को यह निर्देश दिया है कि वेस्ट बैंक में हिंसा का यह सिलसिला बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे और हिंसा को बढ़ावा मिलेगा।

कौमी तंजीम (4 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल की आक्रामक कार्रवाईयां दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जबकि इसे रोकने के लिए कोई गंभीर नहीं है। कुछ लोग तो इजरायल का समर्थन कर रहे हैं। जबकि कुछ दबी जुबान से इसकी निंदा भी कर रहे हैं। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो कुछ हो रहा है हम उसका आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे और हम घुटने नहीं टेकेंगे। दूसरी ओर, इजरायल के विदेश मंत्री

ने कहा है कि हमारा निशाना फिलिस्तीनी जनता नहीं, बल्कि ईरान समर्थक आतंकी समूह हैं। इजरायली सेना को अपनी जनता की रक्षा के लिए यह कार्रवाई करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी जंग हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे ईरान समर्थक आतंकवादी समूहों से है, जिन्हें ईरान आर्थिक सहायता के साथ-साथ हथियार भी सप्लाई करता है। हमारा इरादा किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाने का कतई नहीं है।

मिस्र और तुर्किये का एक दूसरे के देश में दूतावास खुला

मुंबई उर्दू न्यूज (6 जुलाई) के अनुसार मिस्र और तुर्किये में एक दशक के बाद राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं और दोनों देशों ने एक दूसरे के देश में अपने राजदूत नियुक्त कर दिए हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया है कि हमारा प्रयास है कि इन दोनों इस्लामिक देशों के बीच के संबंधों को सुधारा जाए और आपसी संबंधों को नया रूप दिया जाए। मिस्र ने अंकारा में अम्र एल्हामामी को अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। जबकि तुर्किये ने सलीह मुत्लु सेन को काहिरा में अपना राजदूत नियुक्त किया है।

गौरतलब है कि मिस्र और तुर्किये के बीच राजनयिक संबंध एक दशक पूर्व तब समाप्त हो गए थे, जब मिस्र के तत्कालीन रक्षा मंत्री अब्देल फतह अल-सिसी ने तुर्किये समर्थक और इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) के नेता राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को अपदस्थ कर दिया था। उस समय रजब तैयब एर्दोगन ने कहा था कि वे अल-सिसी जैसे किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करेंगे। साल 2014 में अल-सिसी अरब जगत की सबसे बड़ी आबादी वाले मिस्र के राष्ट्रपति बने थे।

बेंजामिन नेतन्याहू न्याय व्यवस्था में संशोधन पर अडिग

मुंबई उर्दू न्यूज (12 जुलाई) के अनुसार इजरायली मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अधिकारों में कटौती करने से संबंधित विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि इस विधेयक का विरोध इजरायली जनता का एक बड़ा वर्ग कर रहा है। इस संशोधन का लक्ष्य कार्यपालिका पर न्यायपालिका के नियंत्रण को समाप्त करना है। नेतन्याहू का दावा है कि उनका लक्ष्य संसद पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में संतुलन पैदा करना है। न्यायपालिका के अधिकारों में संशोधन की योजना नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन ने पेश की थी, जिसके खिलाफ इजरायल में लोग जबर्दस्त प्रदर्शन कर रहे थे।

नेतन्याहू की न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती करने के जिद्द के कारण इजरायल में फिर से भारी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए हैं और उनके इन मंसूबों के खिलाफ 27वें सप्ताह में भी प्रदर्शन जारी हैं। नेतन्याहू के विरोधी जनवरी से हफ्ते में एक दिन शाम को प्रदर्शन कर रहे हैं। यह इजरायल के इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इन सुधारों पर विपक्ष के साथ वार्ता के विफल होने के बाद सरकार ने इस विधेयक को संसद से मंजूर करवाने की कोशिश दोबारा शुरू कर दी है। इजरायली संसद की 120 सीटों में से 64 पर नेतन्याहू के समर्थकों का कब्जा है। इस विवादित विधेयक को कानून का दर्जा देने के लिए तीन बार के मतदान में से पहले मतदान में सरकार ने सफलता प्राप्त कर ली है। इसके बाद विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला और भी तेज हो गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 जुलाई) के अनुसार तेल अवीव के पुलिस प्रमुख अमी एशेद ने अपने पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अति दक्षिणपंथी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह उनके अधिकारों में राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही है। सत्तारूढ़ मोर्चा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। जबकि पुलिस प्रमुख इसके पक्ष में नहीं हैं और उन्होंने कहा है कि उन पर सरकार दबाव डाल रही है। उन्होंने कहा कि मैं तेल अवीव के अस्पतालों को मृतकों और घायलों से भरने के पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि इससे शांति व्यवस्था सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएगी।

इजरायल की अमेरिका से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा

रोजनामा सहारा (4 जुलाई) के अनुसार इजरायल ने घोषणा की है कि वह अमेरिका से 25 एफ-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा। इस लड़ाकू विमान की गिनती दुनिया के अत्याधुनिक विमानों में की जाती है। मध्य पूर्व में इजरायल ही एक मात्र ऐसा देश है, जिसके पास ये विमान होंगे। इन लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए इजरायल और अमेरिका के बीच तीन अरब डॉलर का समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद इजरायल के पास एफ-35 विमानों की संख्या 75 हो जाएगी।

संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार इजरायल के पास पहले से ही 50 ऐसे विमान मौजूद हैं। नए विमानों का इजरायल पहुंचना इसी वर्ष शुरू हो जाएगा। इन विमानों की कीमत अमेरिका से इजरायल को मिलने वाली सैनिक सहायता में शामिल होगी। सरकारी बयान में यह भी कहा गया है कि इन लड़ाकू विमानों को बनाने वाली कंपनी 'लॉकहीड मार्टिन' और जहाज का इंजन बनाने वाली कंपनी ने इजरायल की कंपनियों को भविष्य में यह विमान बनाने के सिलसिले में सहयोग देने पर भी सहमति व्यक्त की है। इन अमेरिकी कंपनियों और इजरायल के रक्षा विभाग ने इस बात को सुनिश्चित बनाया है कि इन विमानों की मरम्मत के लिए आवश्यक पुर्जे और सामान की सप्लाई निरंतर बरकरार रहेगी।

इजरायल यह विमान ऐसे समय में खरीद रहा है जब उसके ईरान जैसे देश के साथ संबंध बहुत ही तनावपूर्ण हो गए हैं। इजरायल पहले से ही ईरान के ड्रोनों को गिराने के लिए इन विमानों का इस्तेमाल करता आ रहा है। इसके अतिरिक्त इजरायल ने ईरान को यह भी धमकी दी है कि वह उसके परमाणु ऊर्जा ठिकानों को भी इन विमानों से चलाए जाने वाले मिसाइलों द्वारा अपना निशाना बनाएगा। इजरायल का दावा है कि ईरान उस पर हमला करने के लिए अपनी परमाणु शक्ति को विकसित कर रहा है और अब तक वह कई परमाणु अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण भी कर चुका है। हालांकि ईरान इसका निरंतर खंडन करता आ रहा है।

ईरान में पिछले छह महीने में साढ़े तीन सौ लोगों को फांसी

इंकलाब (5 जुलाई) के अनुसार ईरान में इस वर्ष के पहले छह महीनो में कम-से-कम 350 लोगों को फांसी पर लटकाया गया है, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है। नार्वे में स्थापित ईरान मानवाधिकार परिषद ने यह आरोप लगाया है कि पिछले वर्ष के सितंबर महीने में महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हत्या के बाद देश में सरकार का विरोध करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसे दबाने के लिए सरकार द्वारा मासूम लोगों को अंधाधुंध फांसी पर लटकाया जा रहा है। इस वर्ष जनवरी से 30 जून तक 354 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। ये आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 36 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल इस अवधि में सिर्फ 261 लोगों को ही फांसी पर लटकाया गया था।

परिषद ने कहा है कि सरकारी उत्पीड़न का निशाना गैर-फारसी बोलने वाले समुदायों को बनाया जा रहा है। अब तक जिन लोगों को फांसी पर लटकाया गया है, उनमें 20 प्रतिशत का संबंध सुन्नी बलूच समुदाय से है। गौरतलब है कि ईरान में शिया संप्रदाय का शासन है। फांसी पाने वालों में छह महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि एक दर्जन पुरुषों को सार्वजनिक रूप से ईरान में फांसी पर लटकाया गया है।

एक अन्य समाचार के अनुसार सऊदी अरब में एक शिया दरगाह पर हमला करने वाले पांच आरोपियों को मौत की सजा दी गई है और राजधानी के चौराहे पर खुलेआम उनका कत्ल किया गया है। जिन लोगों को फांसी की सजा दी गई है उनमें तलहा हिशाम मोहम्मद, अहमद बिन मोहम्मद असीरी, नेसार बिन अब्दुल्ला अल-मुसा, हमद बिन अब्दुल्ला और अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान शामिल हैं। सऊदी अरब में आमतौर पर जुमे की नमाज के बाद नगर के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर जल्लाद आरोपियों की गर्दन को तलवार से काटते हैं। इन लोगों पर यह आरोप था कि इन्होंने शिया इमामबारगाह पर हमला किया और इस हमले में पांच लोग मौके पर मारे गए और दस घायल हुए। जांच के बाद पुलिस को यह पता चला कि इन आरोपियों का संबंध इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस से है और ये राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहे थे। हालांकि, इनको फांसी दिए जाने का फैसला अदालत ने छह महीने पहले ही कर दिया था। मगर न्याय विभाग द्वारा इसकी पुष्टि न किए जाने के कारण इनको अब सजा दी गई है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

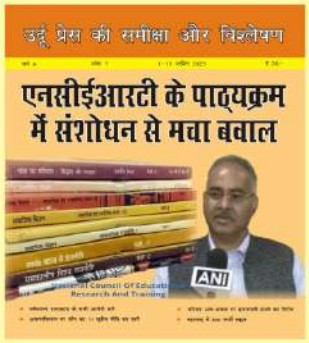

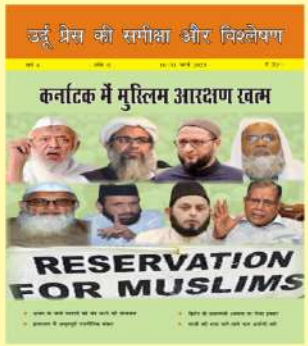

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in